



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30042025-262785
CG-MH-E-30042025-262785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 333]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 30 अप्रैल, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/245.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बेवें दिन लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, —

I. विनियम 25 में,

- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “की जाएगी” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;
- ii. उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि किसी डिपॉज़िटरी (निक्षेपागार) के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) में शामिल किसी निदेशक (जो स्वतंत्र निदेशक न हो / जो गैर-स्वतंत्र निदेशक हो) को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) या किसी दूसरे डिपॉज़िटरी में बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसा केवल ऐसे डिपॉज़िटरी के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) द्वारा तय की गई विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) बीतने के बाद ही किया जा सकेगा।”

- iii. उप-विनियम (3) में,

क. पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि किसी डिपॉज़िटरी में कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, एक लोक हित निदेशक (पब्लिक इंटरेस्ट डाइरेक्टर) को बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर, किसी दूसरे डिपॉज़िटरी या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में तीन वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए, नियुक्त किया जा सकेगा, और ऐसा केवल ऐसे डिपॉज़िटरी के गवर्निंग बोर्ड (शासी मंडल) द्वारा तय की गई विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) बीतने के बाद ही किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि विराम-अवधि (क्लिंग-ऑफ पीरियड) केवल उसी मामले में लागू होगी, जहाँ लोक हित निदेशक की नियुक्ति वैसा ही कारोबार करने वाले किसी दूसरे डिपॉज़िटरी में की जा रही हो।”

ख. परंतुकों के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों “वैसा ही कारोबार करने वाले किसी दूसरे डिपॉज़िटरी” से संबंधित प्रावधान तब लागू होगा, जब किसी लोक हित निदेशक की नियुक्ति किसी एक डिपॉज़िटरी से किसी दूसरे डिपॉज़िटरी में की जाए।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./66/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, द्वारा 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,-
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा

- ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
- ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
- ङ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
- छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
- ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/74, द्वारा
- झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/125, द्वारा
- ञ. 22 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/147, द्वारा
- ट. 10 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/173, द्वारा
- ठ. 26 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/200, द्वारा
- ड. 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/212, द्वारा
- ढ. 2 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/213, द्वारा
- ण. 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/225, द्वारा
- त. 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/228, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th April, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/245 — In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, —
 - I. in regulation 25,
 - i. in sub-regulation (1), after the words “prior approval of the Board”, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
 - ii. after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the non-independent director on the governing board of the depository may be appointed in a recognized stock exchange or a recognized clearing corporation or another depository with the prior approval of the Board, only after a cooling-off period as may be specified by the governing board of such depository.”
 - iii. in sub-regulation (3),
 - a. the first proviso shall be substituted with the following provisos, namely, -

“Provided that upon the expiry of the term(s) at a depository, a public interest director may be appointed with the prior approval of the Board for a further term of three years in another depository or a recognized stock exchange or a recognized clearing corporation, only after a cooling-off period as may be specified by the governing board of such depository:

Provided further that the cooling-off period will be applicable only in case of appointment as a public interest director in a competing depository.”
 - b. after the provisos, the following explanation shall be inserted, namely, -

“Explanation: For the purpose of this sub-regulation, the expression “competing depository” shall be applicable in case of appointment of a public interest director from one depository to another depository.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./66/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/402.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, —
 - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.

- c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
- g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
- h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
- i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.
- j. 22nd August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.
- k. 10th May, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/173.
- l. 26th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/200.
- m. 28th November, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.
- n. 2nd December, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/213.
- o. 10th February, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/225.
- p. 10th February, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.